रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-1. RNI No. D. (DN) 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 1985/माघ 12, 1906
No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, FEB. 1, 1985/MAGHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

कलकत्ता, 1 फरवरी, 1985

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

का. आ. 72(अ):—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त एतद्द्वारा बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$ साम्य वजन सिला किनारा $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ सिला $2\frac{1}{4}$ पौण्ड प्रति बोरा, 6×8, 3-नीले शुष्क

सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. संस्था भा. मा. (2566-1965 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी द्वारा कीमत 1341.31 रुपये प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय फरवरी, 1985, महीने के दौरान किया जाएगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई कीमत में उत्पादन शुल्क और विक्रय कर सम्मिलित नहीं; जिसका संदाय क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त करना होगा ।

[फाइल न. 8/3/84-जूट]

एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

Calcutta, the 1st February, 1985

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

S.O. 72(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, S. P. Mallik, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 1341.31 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$ Hd. W.I.P. $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ Hd. 24 lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of February, 1985.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|3|84-Jute]

S. P. MALLIK, Jute Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985